

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

“वित भवन” जनपथ, जयपुर-302015
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ.3(ख) / (एस-222/94) / अलेसे- ॥/

दिनांक :- २७/०२/२०१७

कार्यालय आदेश

श्री सोमेश वशिष्ठ, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-॥ को इस निदेशालय के आदेश क्रमांक 59 दिनांक 06.04.2016 के द्वारा रिश्वत लेने के प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दिनांक 29.03.2016 को ट्रैप करने एवं न्यायाधिक अभिरक्षा में लेने के कारण दिनांक 29.03.2016 से निलम्बित किया गया था। श्री सोमेश वशिष्ठ, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-॥ को निलम्बित हुए 6 माह से अधिक की अवधि पूर्ण हो चुकी है। निर्वाह भत्ता बढ़ाये जाने हेतु श्री वशिष्ठ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियम के नियम 53 (1) के अनुसरण में श्री सोमेश वशिष्ठ, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-॥ (निलम्बित) को दिये जा रहे निर्वाह भत्ते में दिनांक 29.09.2016 से 50% की अभि-वृद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(पंकज पाटनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3(ख) / (एस-222/94) / अलेसे- ॥/ २२६३

दिनांक :- २७/०२/२०१७

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
2. कोषाधिकारी, जालोर।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
4. श्री सोमेश वशिष्ठ, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-॥ (निल.), मुख्यालय, कोषालय, जालोर।
5. कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. पदस्थापन सीट/एसीपी सीट/जांच शाखा/रक्षित पत्रावली।

(हेमलता कुमारी)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-॥)